



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**  
**लखनऊ**  
**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4624/2026**

प्रेम नारायण

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग उ.प्र. लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

---

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : - संतोष कुमार श्रीवास्तव

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 12**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

श्री निज़ाम अहमद, अधिवक्ता ने आज न्यायालय में शिकायतकर्ता की ओर से वकालतनामा दायर किया है और इसे अभिलेख पर ग्रहण किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- अलीगंज, जिला-अम्बेडकर नगर में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 74, 331(2) एवं 64 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 49/2026 में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण आशय से वर्तमान मामले में झूठा संलिप्त किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचना

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिपोर्ट स्वयं शिकायतकर्ता/पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई थी। उसमें पीड़िता/शिकायतकर्ता के शीलभंग का ही आरोप था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज बयान में पीड़िता/शिकायतकर्ता ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट के बयान को ही दोहराया था हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में उसने अपने बयान को पूर्ण रूप से बदल दिया और कहा कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। वह आगे यह प्रस्तुत करते हैं कि वास्तव में ऐसी कोई घटना कभी घटी ही नहीं है और पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत है। उनका आगे यह तर्क है कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 02.05.2026 से जेल में बंद है। उनका निवेदन है कि प्रार्थी यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया है। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता/शिकायतकर्ता के बयान से स्पष्ट हैं। वह प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता का बयान अभियोजन पक्ष की कहानी से पूर्ण रूप से संपुष्ट होता है। प्रार्थी जमानत का हकदार नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष की उस कहानी में अत्यधिक असंगति है जो स्वयं पीड़िता द्वारा बताई गई थी और तत्पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज बयानों में सामने आई। धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान तक कहानी सुसंगत रही, जबकि धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान में उसका कथन बदल गया। यह न्यायालय पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताई गई कहानी और धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज बयान में विरोधाभास है। प्रार्थी दिनांक 02.05.2026 से जेल

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में बंद है और प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसा कि जमानत प्रार्थनापत्र के पैरा 24 में स्पष्ट किया गया है। प्रार्थी ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह उसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा। दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपरोक्त अपराध में संलिप्त प्रार्थी- **प्रेम नारायण** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

- (1) प्रार्थी विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा;
- (2) प्रार्थी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। वह व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;
- (3) प्रार्थी (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा; और
- (4) यदि प्रार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

25 जून, 2026  
आरती

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।